उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-23/2022/118/तेईस-14-2021-02त्व0आ0वि0यो0/2019
लखनऊ: दिनांक- 02 मार्च, 2022

शुद्धि-पत्र

अनुदान संख्या-58 त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-16/2022/71/23-14-2022-02त्व0आ0वि0यो0/2019, दिनांक 09.02.2022 द्वारा 01 चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त की है।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.02.2022 द्वारा उल्लिखित विषय में त्रुटिवश मिसिंग लिंक योजना के स्थान पर त्वरित आर्थिक विकास योजना अंकित हो गया है, जबकि मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-8660बी0जी0/7बी0ग्रामीण मार्ग/2021-22, दिनांक 19.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में प्रश्नगत चालू कार्य मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत प्रेषित किया गया है । अतः उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.02.2022 में उल्लिखित विषय एवं प्रस्तर-1 (6) में त्वरित आर्थिक विकास योजना के स्थान पर मिसिंग लिंक योजना पढ़ा जाय ।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.02.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश दिनांक 09.02.2022 की शेष शर्तें एवं अन्य विवरण यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-23/2022/118(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या ।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-9/10
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-4
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in